राष्ट्र के प्रतीक

जयप्रकाश भारती

सत्यमेव जयते

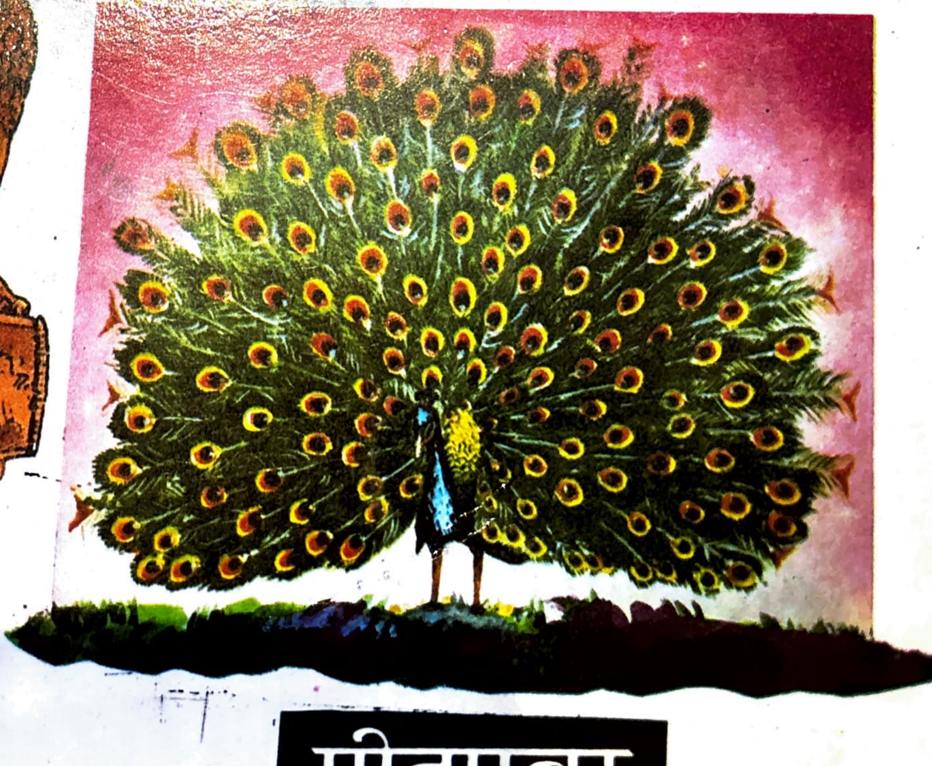

पीताम्बर

राष्ट्र के प्रतीक

लेखक

जयप्रकाश भारती

सम्पादक 'नंदन'

सत्यमेव जयते

पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी प्रा. लि.

888, ईस्ट पार्क रोड, करौल बाग

नई दिल्ली-110005 (भारत)

प्रकाशक

पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी प्रा. लि.

888, ईस्ट पार्क रोड, करौल बाग

नई दिल्ली–110005 (भारत)

दूरभाष : 23670067, 23522997, 23625528

फैक्स : 91-11-23676058,

संस्करण : 2009

मूल्य : 50/- रुपये

ISBN : 81-209-0846-5

कोड नं. : 21880

कापीरॉईट : © लेखकाधीन

मुद्रक

पीयूष प्रिंटर्स पब्लिशर्स प्रा. लि.,

नई दिल्ली–110041

स्वाधीन भारत के नागरिक

आजादी के दीवानों का एक जुलूस निकला–सबसे आगे थे अमर शहीद फुलेनाप्रसाद। कुछ ही दूर जाने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जुलूस लौटाने को कहा; लेकिन आजादी के दीवाने जुलूस कहां लौटते हैं? तब गोली चली–एक, दो, तीन..... आठ गोलियां तो अकेले फुलेना बाबू के सिर को ही बींध गई। फिर भी न तो भारत मां का यह लाल रुका और न ही उसका झण्डा झुका।

स्वाधीन होने के बाद भी जब कभी हमें चुनौती दी गई, तब-तब हम ने झण्डे के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। हमारे नेता लालबहादुर शास्त्री ने हमें सिखाया–'हम रहे या न रहें, यह देश रहना चाहिए, यह झण्डा रहना चाहिए।'

झण्डे के अलावा भी हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं–राष्ट्र-गान, मुहर, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र-भाषा और संवत। ये सब हमें एक सूत्र में बाँधे हुए हैं। हम देश के बारे में सोचते हैं, तो हमें तुरन्त इनका ध्यान आता है। स्वाधीन देश के नागारिकों को इनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, खास तौर से बच्चों को।

बातें करते-करते ही इन के बारे में रोचक जानकारी इस पुस्तक में कराई गई है। देश के सभी स्कूलों व पुस्तकालयों में यह पुस्तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। हर बच्चे को इसे पढ़ना चाहिए।

नई दिल्ली

– जयप्रकाश भारती

सम्पादक : नंदन

क्या-कहां

1.	लाल किले की सैर	1-2
2.	झंडे का इतिहास	3-8
3.	फहरे तिरंगा प्यारा	9-12
4.	हम सब मिलकर गाएं	13-16
5.	नाच रहा मोर घिर आए बदरा	17-18
6.	जंगल का राजा है–शेर	19-20
7.	करोड़ों की भाषा	21-23
8.	हमारी मुहर	24-26
9.	राष्ट्रीय संवत	27-28

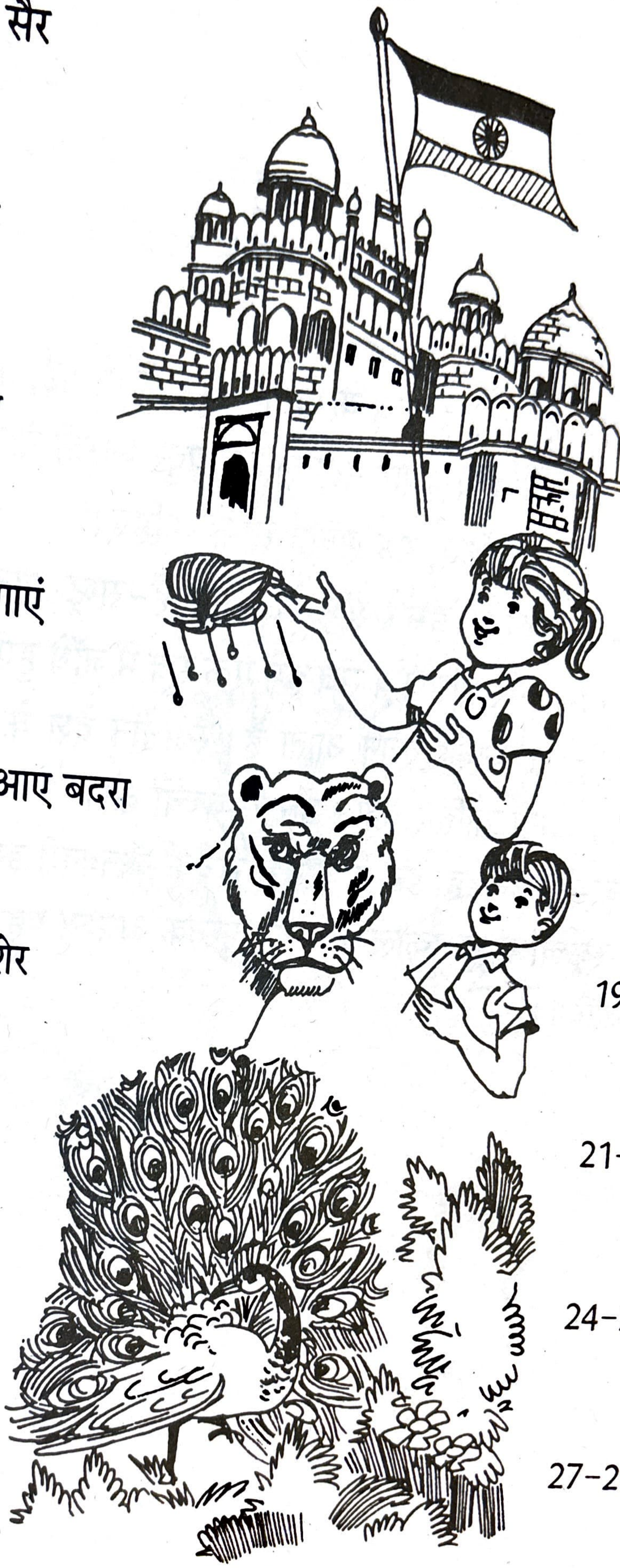

1 लाल किले की सैर

15 अगस्त का दिन था। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झण्डा फहराते हैं। वहीं लेकर जाने का वायदा मैंने किया था। लाल किला जाने की खुशी में विनोद और मंजु जल्द ही उठ गए।

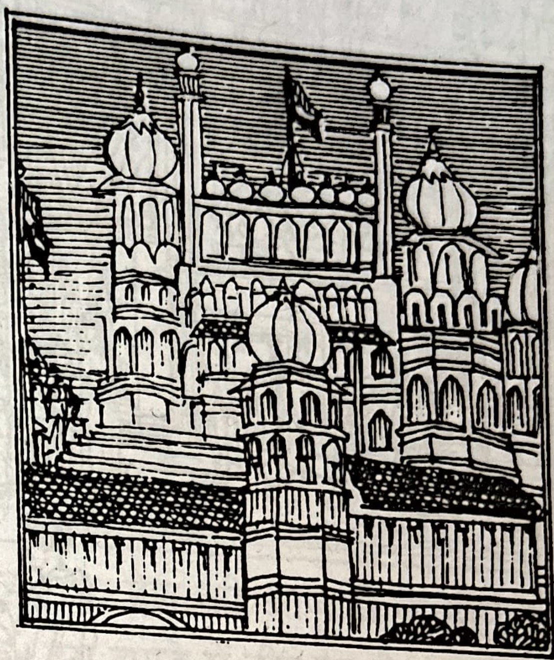

बाज़ार सजे हुए थे। बहुत लोगों ने फूलों से अपनी दुकानें सजाई थीं। रोशनी के लिए बल्ब लटकाए थे। तरह-तरह की झालरें लटकी हुई थीं। जगह-जगह द्वार बनाए गए थे–कोई केले के पत्तों से बना; कोई खादी के कपड़ों से सजा। फहराता तिरंगा तो हर कहीं था ही। मकानों पर लोगों ने प्यारा तिरंगा फहरा रखा था। छतों पर तिरंगा, छज्जों पर तिरंगा, दरवाजों और खिड़कियों पर तिरंगा।

तभी मेरी नज़र एक झण्डे पर पड़ी। एक मकान पर तिरंगा झण्डा लहरा रहा था। झण्डे को देखकर मैं ठिठक गया। जी में आया कि रुक कर उस झण्डे को उतरवा दूं। लेकिन हमें लाल क़िला पहुंचने की जल्दी थी। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने बच्चों का ध्यान उस झण्डे की तरफ खींचा, पूछा–''देख रहे हो तुम लोग वह झण्ड़ा?''

मंजु बोली–''हां, वह तिरंगा झण्डा है। ऐसे ही झण्डे को प्रधान मंत्री जी फहरायेंगे।''

मैंने कहा–''वह तो ठीक है। लेकिन तुम्हें इस झण्डे में कोई खास बात भी तो दिखती होगी।''

उनकी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन जिस बात से मैं ठिठका था, वह उनके दिमाग में न आई। विनोद बोला–''हमें तो कुछ खास नहीं दिखाई दिया उस झण्डे में। आप ही बताइए न ?''

मैं झुंझलाया–''तुम दोनों ने देखा नहीं उस झण्डे में हरा रंग ऊपर था, केसरिया रंग नीचे था। झण्डा फहराने का ठीक कायदा भी तुम्हें नहीं मालूम। केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए।''

''हां-हां, केसरिया रंग तो सभी ऊपर रखते हैं,'' वे दोनों एक साथ बोले।

विनोद ने सवाल किया–''अगर हरा रंग ऊपर हो जाए तो कुछ हर्ज़ है?''

मैंने जवाब दिया–''झण्डा देश का निशान होता है। उसे ठीक तरह से फहराना चाहिए। उसके लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी सबको होनी चाहिए।''

2 झण्डे का इतिहास

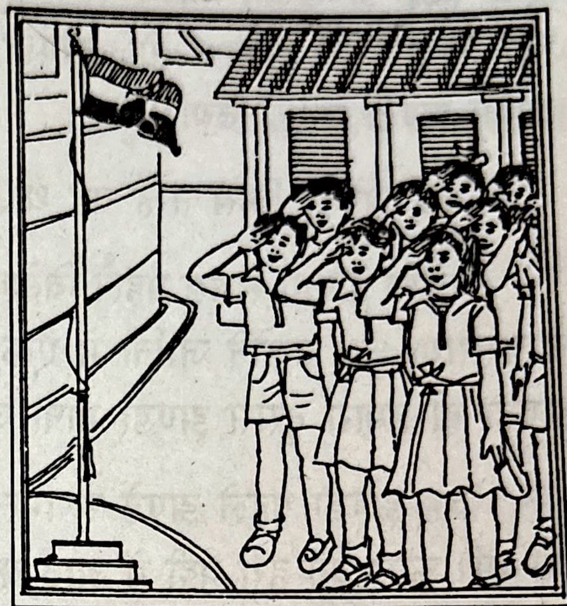

लाल किले के मैदान से निकलकर हम सड़क पर आ गए। मंजु ने बात का सिलसिला शुरू किया। बोली–"अब तो बताइए झण्डे की बात!"

मैंने कहा–"तुम्हारी उत्सुकता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने झण्डे का इतिहास बताऊंगा। कैसे यह झण्डा बना? इसके पहले कौन-से झण्डे हमने अपनाए।"

हमारे झण्डे की कहानी सन् 1907 में शुरू होती है। कलकत्ता में एक सभा हुई। वह सभा देश की आजादी के दीवानों ने की थी। उस सभा में एक झण्डा फहराया गया। उस झण्डे में तीन रंग थे। सबसे ऊपर हरा था, बीच में पीला, नीचे लाल। हरे रंग की पट्टी में कमल के फूल बने हुए थे। उनकी गिनती आठ थी। बीच की पट्टी में वंदेमातरम् लिखा हुआ था। निचली लाल पट्टी में बाई तरफ सूरज था। दाईं तरफ चांद तारा बना हुआ था।

मैंने बात आगे बढ़ानी चाही–"अब दूसरे झण्डे की बात सुनो।"

"पहले झण्डे का क्या हुआ? क्या वह फिर से फहराया ही नहीं गया? विनोद उत्सुकता से बोला।

मैंने कहा–"पहला झण्डा और भी कई जगह फहराया गया। हमारे देश के बहुत से नेताओं को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया था। वे लोग विदेश में भी चुप न बैठे। वहां भी आजादी की आवाज उठाते रहे।"

"वे वहां क्या करते थे? मंजु ने पूछा।

"वे लोग अपनी आजादी की प्रतिज्ञा को दोहराते थे। विदेशों में अंग्रेजों का

भंडाफोड़ करते थे। सभाएं करते थे। उनमें आज़ादी के लिए लड़ने वालों पर होने वाले जुल्मों की पोल खोलते थे।"

"इन लोगों ने विदेशों में भी झण्डा फहराया होगा।" विनोद बोला।

"हां, तुमने ठीक कहा।" मैं बोला–कुछ नेताओं ने पेरिस में झण्डा फहराया। कुछ ने इस झण्डे को बर्लिन में भी फहराया, लेकिन हमारे देश में यह झण्डा अधिक नहीं फहराया जा सका। अंग्रेज़ झण्डा फहराने वालों के पीछे पड़ गए।" बस उन्होंने अपना झण्डा बदल दिया।"

"वह झण्डा किस तरह का था?" मंजु ने पूछा।

"दूसरा झण्डा सबसे पहले विदेश में फहराया गया। "दूसरा झण्डा मदाम कामा ने फहराया था। उन्होंने जर्मनी में एक क्रान्तिकारी दल बना रखा था। उस दल का झण्डा ही हमारा दूसरा झण्डा माना जाता है।"-मैंने बताया।

"वह झण्डा पहले झण्डे से मिलता-जुलता था। निचली दोनों पट्टियां ज्यों की त्यों थीं। ऊपर की हरी पट्टी में आठ कमलों की जगह एक ही कमल रखा गया था। बाकी सात कमलों की जगह सात सितारों ने ले ली।"

मैं जरा रुका। पूछा–"जानते हो ये सितारे क्यों रखे गए थे?"

मंजु बोली–"नहीं।"

विनोद ने भी सिर हिला दिया। मैंने कहा–"सप्त ऋषियों के बारे में तो तुम जानते ही हो। ये सात सितारे आकाश में अलग से चमकते हैं। इन्हीं को इस झण्डे में दिखाया गया था।"

"और कमल का फूल किसलिए था?" विनोद ने पूछा!

मैंने कहा-"कमल का फूल रखने की ख़ास वजह थीं। कमल का फूल हमारी आजादी की लड़ाई की कहानी सुनाता है। 1857 की क्रान्ति का तो हाल तुमने सुना ही होगा।"

"हां, 1857 में हमारे देश के लोग अंग्रेजों से लड़े थे। अंग्रेजों को देश से बाहर कर देने के लिए सारे देश में लड़ाई छिड़ गई थी," विनोद ने आंखें मटका कर कहा।

मैंने कहा—''ठीक है। उसी लड़ाई में कमल का फूल चुना गया था। क्रान्ति की खबर चुपके से सारे देश में फैलाई गई। इस खबर को ले जाने वालों की जान हमेशा खतरे में रहती थी। अंग्रेजों से छिप-छिप कर वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आजादी के लिए लड़ने वालों के पास वे पहुंचते, उन्हें अपनी निशानी के तौर पर कमल का फूल दिखाते और फिर मोर्चे की खबरें बताते!''

''हां, तब तो कमल का फूल जरूर झण्डे में रखना चाहिए था। मंजु बोली।

''अब आगे की कहानी सुनो। मैने झंडे का इतिहास आगे बढ़ाया—''इस तरह चोरी-छिपे कब तक झण्डा फहराया जा सकता था? आजादी की लड़ाई ज़ोर पकड़ती जा रही थी। अंग्रेज़ भी इस बात को समझ रहे थे। वे हमसे समझौता करने लगे।''

अंग्रेज़ों ने कहा—''पूरी आजादी तो हम नहीं देंगे। कुछ अधिकार भारतीयों को मिल सकते हैं। उन्होंने होमरूल का सुझाव दिया।''

''फिर क्या हुआ?'' विनोद पूछा बैठा।

''उस समय के नेताओं को यह बात जंच गई। इन नेताओं में लोकमान्य तिलक सबसे आगे थे। उन्होंने इसी सिलसिले में एक झण्डा तैयार किया। उस झण्डे में पांच लाल पट्टियां थीं। पांच ही हरी पट्टियां भी थीं। लाल और हरी पट्टियां एक के बाद एक करके थीं। बाएं ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। दाईं तरफ चांद और सितारा था। बीच में सात तारे बने थे।''

''यूनियन जैक को झण्डे में नहीं रखना चाहिए था।'' विनोद ने बहस की।

''और भी बहुत से लोगों ने यह बात कही थी। नेता लोग तो किसी तरह मान गए, लेकिन आम जनता को यह झण्डा कतई पसन्द न आया। इसी लिए यह झण्डा अधिक दिन नहीं चला।''

''फिर कौन-सा झण्डा आया? मंजु पूछ बैठी।

''1921 की बात है। विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक हो रही थी। एक युवक गांधी जी के पास आया। वह आंध्र का रहने वाला था। उसने एक झण्डा तैयार किया। उस झण्डे में सिर्फ दो रंग थे। एक हरा और दूसरा लाल। ये रंग खास तौर से चुने गए थे। ये रंग दो खास सम्प्रदायों को दिखाते थे।'' मैंने कहा।

मंजु ने पूछा–"गांधी जी ने उस झण्डे का क्या किया।"

"गांधी जी को वह झण्डा पसन्द आ गया।" मैंने कहा–"लेकिन उन्होंने उस झण्डे में कुछ बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने इस झण्डे में एक सफ़ेद पट्टी और जुड़वा दी। यह सफेद पट्टी बाकी सब सम्प्रदायों को दिखाने के लिए थी। इसके अलावा उन्होंने झण्डे में चर्खा भी रख दिया।

"चर्खा क्यों रखा? चर्खे से उन्होंने क्या दिखाया?" विनोद चकरा कर बोला।

"लेकिन तिरंगे में तो सफेद पट्टी बीच में है?" मंजु ने मेरी बात में गलती निकालनी चाही।

"इस तरह परेशान क्यों होती हो गुड़िया?" मैंने लाड़ से कहा–"शुरू में तिरंगा इसी तरह का था। उसे कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। लेकिन उस झण्डे को गांधी जी पसन्द कर चुके थे। दूसरा कोई झण्डा था भी नहीं। इसलिए यही झण्डा हर जगह फहराया जाने लगा। इस तरह दस साल निकल गए।" मैंने कहा।

वन्देमातरम्
वन्देमातरम्

मैंने बात आगे बढ़ाई-"आखिर सन् 1931 आया। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ। वहां फैसला हुआ कि एक झण्डा चुन लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक समिति बनी। समिति में सात आदमी थे।"

"उन्होंने तिरंगे को ही चुन लिया या कोई दूसरा झण्डा चुना?" विनोद ने सवाल किया।

मैंने ज़रा सोच कर जवाब दिया-"उन दिनों बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। लोग झण्डे में अपने सम्प्रदाय को दिखाना चाहते थे। इसलिए समिति ने एक नया झण्डा तैयार किया।"

विनोद ने पूछा-"वह झण्डा कैसा था?"

"वह बिल्कुल सादा था। उसमें सिर्फ एक रंग था-केसरिया। उसके बाएं कोने पर चर्खा था। चर्खे का रंग लाल-भूरा था।"

"लेकिन इस झण्डे को माना नहीं गया। कांग्रेस की बैठक में इस झण्डे को परखा गया। समिति का बनाया झण्डा पसन्द नहीं किया गया।"

"बिना फैसले के कौन-सा झण्डा फहराया गया?" मंजु असमंजस में पड़ गई।

"बिना फैसले के कौन-सा झण्डा फहराया गया?" मंजु असमंजस में पड़ गई।

फौरन ही एक ओर झण्डा तैयार कर लिया गया। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह झण्डा बिना किसी झगड़े के मान लिया गया।" मैं ज़रा रुका। फिर विनोद की तरफ देख कर सवाल किया-"बता सकते हो वह कौन-सा झण्डा था?"

"ऐसा झण्डा तो तिरंगा ही हो सकता है।" मंजु पूरे विश्वास से बोली।

मैंने उसे गोदी में उठा लिया, कहा-"हां, वह तिरंगा ही था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी, नीचे हरी पट्टी। तीनों चौड़ाई में बराबर थीं। सफेद पट्टी में चर्खा रखा गया।"

झण्डे के रंगों के नए अर्थ बताए गए।"

"वे अर्थ क्या थे?" विनोद परेशानी में पड़ गया।

"केसरिया रंग जोश को दिखाता है। वह हमें त्याग का पाठ भी पढ़ाता है। सफेद रंग तो शान्ति का है ही। सफेद रंग से सच्चाई पर डटने की बात भी मानी जाती है। हरे रंग को वीरता के लिए माना गया। हरा रंग खुशहाली के लिए भी चुना गया।"

"और चक्र?" मंजु ने पूछा।

"उस समय के झण्डे में चक्र नहीं था। तब तो चर्खा ही था।"

मंजु फिर से शाबाशी लेने की फिक्र में थी। बोली "लेकिन चर्खे वाला झण्डा तो कोई-कोई ही है। सभी ने चक्र वाला झण्डा फहरा रखा है।"

"चर्खे वाला झण्डा बहुत समय तक रहा। सन् 1931 में इसे अपनाया गया था। उसके बाद आजादी की पूरी लड़ाई हमने इस झण्डे के नीचे ही लड़ी। इसी की आन के लिए हम जीए-मरे।" मैंने कहा–"लेकिन इस झण्डे में एक कसर थी।"

"क्या कसर थी?" वे दोनों एक साथ बोल उठे।

मैंने कुछ सधे शब्दों में कहा-"कोई खास बात नहीं थी। चर्खे वाले झण्डे में एक कठिनाई थी। उस कठिनाई को चाचा नेहरू ने दूर कर दिया। 22 जुलाई; 1947 को चक्र वाला झण्डा पेश किया। यह झण्डा उन्होंने संविधान सभा को पेश किया।"

झण्डा पेश करते हुए उन्होंने कहा–"चर्खे का निशान इस झण्डे में बदल गया है। चर्खा हटाया नहीं गया है। इसे बदला क्यों गया? झण्डे के एक तरफ के निशान का दूसरी तरफ के निशान से मेल बैठना चाहिए; वर्ना कठिनाई पड़ती है। वह बात नियमों के खिलाफ हो जाती है। अभी तक झण्डे पर चर्खा रहता था। एक सिरे पर चर्खे का सिरा होता था, दूसरी तरफ उसका तकुआ। दूसरी तरफ से देखने पर उलट जाता था।....... बस चर्खे से यही परेशानी थी। अब चर्खे का पहिया जारी रहेगा। बाकी हिस्सा नहीं रहेगा।"

"वह पहिया भी एक खास तरह का होगा। वह पहिया अशोक स्तम्भ में मौजूद है। इसे पहिया कहें या चक्र–हमारी पुरानी संस्कृति की निशानी है।"

मंजु ने एक मकान पर फहराते झण्डे की तरफ इशारा करके कहा।

मैंने समझाते हुए कहा-"चक्र वाला झण्डा हमारे देश का झण्डा है। चर्खे वाला झण्डा अब कांग्रेस दल का झण्डा है।"

3 फहरे तिरंगा प्यारा

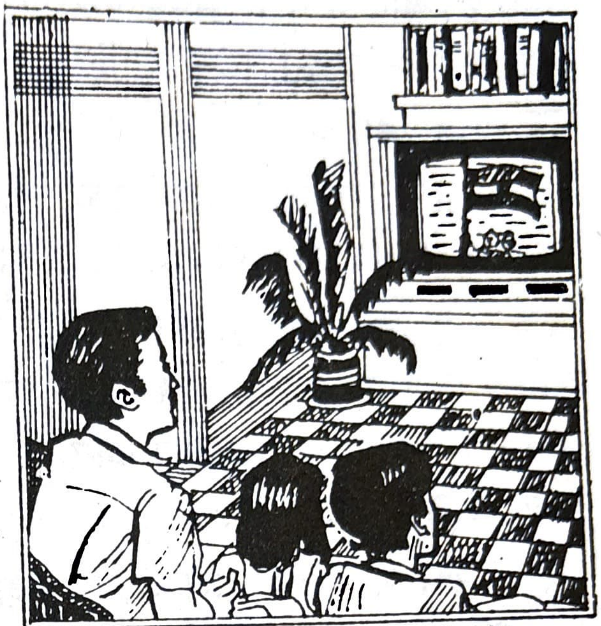

मैं आरामकुर्सी पर अधलेटा था। अखबार पर नज़र डाल रहा था। वे दोनों बच्चे मेरे पास सिमट गए। आखिर विनोद मचल कर बोला- "अब सुनाइए न आगे की बात-झण्डा फहराने का तरीका?"

"मंजु भी दबे स्वर में बोली-"सुनाइए न।"

मैंने उन्हें बतलाया-"झण्डा फहराने का सही तरीका तो एक ही है। केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। झण्डा कभी भी लेटा हुआ-सा नहीं लहराना चाहिए। झण्डा ऊपर को उठा रहना चाहिए। इस मामले में एक सावधानी रखनी जरूरी है। राष्ट्रीय झण्डे से ऊंचा कोई और झण्डा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से झण्डे का अपमान होता है।"

"इसमें अपमान की क्या बात है?" विनोद पूछ बैठा।

मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "राष्ट्रीय झण्डा सब झण्डों से बड़ा है। उसका पूरा आदर किया जाता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के मुताबिक ही झण्डे को फहराया जा सकता है।"

"तो हमें वे नियम भी बताइए।" मंजु बोली।

"हां, जरूर बताएंगे।" मैंने नियम बताने शुरू किए-"राष्ट्रीय झण्डे से ऊपर कोई झण्डा नहीं फहराया जाना चाहिए। न ही कोई झण्डा उसके दायीं ओर रहना चाहिए। कभी-कभी राष्ट्रीय झण्डा दूसरे झण्डों के साथ दीवार पर फहराया जाता है। झण्डे एक के ऊपर एक-एक करके भी फहराए जा सकते हैं। उस हालत में राष्ट्रीय झण्डे का रुख दाहिनी ओर होना चाहिए। राष्ट्रीय झण्डे का डण्डा दूसरे झण्डों के सामने रहता है।

"सभाओं में राष्ट्रीय झण्डा भाषण करने वाले के पीछे रखा जाता है। झण्डा भाषण करने वाले के सिर से भी ऊंचा रहना चाहिए। सारी सजावटें झण्डे से निचली

तरफ ही होती हैं। झण्डे के ऊपर की तरफ सजावट करना अच्छा नहीं समझा जाता।''

''तब तो और भी बहुत-सी बातों का ध्यान रखते होंगे? राष्ट्रीय झण्डा सबसे पहले फहराया जाना जरूरी होगा।'' विनोद ने अन्दाज़ से कहा।

''हां, ठीक है।'' मैंने कहा-''सभाओं में सबसे पहले राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाता है। बाद में दूसरे झण्डे फहराए जाते हैं। यही बात उतारने की है। राष्ट्रीय झण्डा आखिर तक फहरा रहना चाहिए। दूसरे झण्डे उससे पहले ही उतार लिए जाते हैं। राष्ट्रीय झण्डा उतारने के बाद दूसरा झण्डा नहीं फहराना चाहिए।''

''यानी राष्ट्रीय झण्डा सबसे पहले फहराया जाए। उतारा सबसे बाद में जाए।''-मंजु ने बात का मतलब निकाला।

''हां, तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। लेकिन एक बात और भी समझ लो।'' मैंने कहा-''सेना में झण्डा फहराने का कायदा थोड़ा-सा अलग है। राष्ट्रीय झण्डे के साथ सेना का झण्डा भी फहराया जाता है। ये दोनों झण्डे एक साथ फहराए जाते हैं। एक साथ ही उन्हें उतारा जाता है।''

''सेना में झण्डे कब फहराए जाते हैं?'' मंजु ने पूछा।

मैंने जवाब दिया-''सेना में झण्डे रोज़ फहराए जाते हैं। सूरज के निकलते ही झण्डे ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। टुकड़ी के अफसर ऊपर जाते झण्डों को सलामी देते हैं। उस समय वे सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। साथ में राष्ट्रगीत गाया जाता है। इस तरह दोनों झण्डे शाम तक एक साथ फहराते हैं। सूरज के डूबते ही झण्डों को उतार लिया जाता है।''

मंजु को एक बात सूझी। वह बोली-''हम भी रोज़ सुबह अपने मकान पर झण्डा फहराया करेंगे। शाम को उतार कर रख लिया करेंगे। झण्डे के लिए एक डण्डा लगवा दीजिए, पिता जी!''

मैं मंजु के चाव से खुश हुआ।

मैंने कहा-''पहले आम लोग रोज़ाना झण्डा नहीं फहरा सकते। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब आम आदमी भी अपने घरों पर झण्डा फहरा सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन और शिक्षा संस्थाएं भी झण्डा फहरा सकती हैं।

मैंने विनोद को पास बुला कर कहा-''राष्ट्रीय झण्डा सरकारी इमारतों पर फहराया जाता है। ये सरकारी इमारतें भी कुछ खास ही हैं। राष्ट्रीय झण्डा संसद भवन पर फहराया जाता है। प्रदेश के विधान-सभा भवन पर भी फहराता है। सभी सचिवालयों

झण्डा फहराता रहता है। उच्च-न्यायालयों पर भी झण्डा फहराता है।

"इसके अलावा कुछ खास जगहों के छोटे दफ्तरों पर भी झण्डा फहराता है। रे देश की सीमा बहुत-से देशों से मिलती है। सीमा प्रदेश में हमारी चौकियां रहती कुछ दफ्तर भी होते हैं। इन दफ्तरों पर भी राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाता है।"

विनोद बोला-"हमने तो बहुत से मकानों पर झण्डे फहराते देखा है। वे कैसे हरा लेते हैं झण्डे को?"

मैंने कहा, "केन्द्रीय सरकार के मंत्री अपने मकानों पर झण्डा फहराते हैं। राज्य मंत्रियों के मकानों पर भी झण्डा फहराता है। उपमंत्रियों को भी झण्डा फहराने की जाज़त है। संसद के अध्यक्षों के निवास-स्थान पर झण्डा फहराता है। विधान सभाओं अध्यक्ष भी अपने निवास-स्थान पर झण्डा फहराते हैं।

"क्या और कहीं नहीं फहराया जाता झण्डा?" विनोद ने पूछा।

"नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हमारे राजदूत भी विदेशों में राष्ट्रीय झण्डा फहराते हैं।"

झण्डे के बारे में बात करते हुए बहुत देर हो गई थी। मैं इस बात को खत्म करना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा-"झण्डे के बारे में और तो कुछ नहीं पूछना?"

क्षण भर बाद मंजु फिर बोली-"एक बात बता दीजिए। हमने कई बार झण्डे को नीचे झुका हुआ देखा है। झण्डा क्यों झुक जाता है?"

"बिटिया, झण्डे को झुकाया जाता है।" मैंने कहा-"झण्डा झुकाकर हम शोक प्रकट करते हैं। यह तभी किया जाता है। जब कोई बड़ा आदमी मर जाए या देश के लिए दुख का अवसर आ जाए। ऐसी हालत में झण्डे को डंडे की चोटी से नीचे खिसका देते हैं। झण्डा डंडे के बीच में बांध दिया जाता है।"

"शोक के दिन की याद में भी झण्डे को झुकाया जाता है। उसके लिए ख नियम हैं। ऐसे दिन झण्डा सुबह को झुका दिया जाता है यानी डंडे के बीच में

उतार लेते हैं। दोपहर तक झण्डा ऐसे ही रखा जाता है। दोपहर के बाद ऊपर कर दिया जाता है।''

विनोद झटपट बोला–''एक बात मुझे भी पूछनी है। स्कूल में झण्डा फहराने का क्या नियम है?''

''तुम्हारे स्कूल में 15 अगस्त को झण्डा फहराया जाता है। 26 जनवरी को भी झण्डे को सलामी दी जाती है। 2 अक्तूबर के दिन भी यही कार्यवाही होती होगी। तब भी तुम मुझसे नियम पूछ रहे हो?''

''देखा तो हर बार है। सलामी भी दी है। लेकिन, ध्यान नहीं दिया। आप बता दीजिए। आगे से ध्यान रखूंगा।''

''अच्छा, तो सुनो।'' मैंने कहा–''स्कूलों में झण्डा फहराने के लिए किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है। झण्डे का डंडा किसी खुले मैदान में रखना अच्छा समझते हैं। लड़के तीन तरफ खड़े हो जाते हैं। वे अपनी-अपनी कक्षाओं के हिसाब से खड़े होने चाहिएं। वे तीन-तीन की कतारों में खड़े होते हैं। कक्षा का अगुवा अपनी कतार में सबसे आगे रहता है। उसे सबसे दाहिनी ओर रहना चाहिए। अध्यापक कक्षा के पीछे खड़े होते हैं। अध्यापक तीसरी कतार से दो कदम पीछे खड़े होने चाहिएं। इस तरह सभी कक्षाओं को खड़ा होना चाहिए।''

''चौथी तरफ मुख्य अध्यापक खड़े होते हैं। साथ में झण्डा फहराने वाला बड़ा आदमी भी रहता है। लड़कों का बड़ा नेता भी वहीं खड़ा होता है। ये लोग झण्डे के डंडे से कुछ हटकर खड़े रहते हैं। डंडे से तीन कदम हटकर खड़े होने का नियम है।''

''तब सलामी की रस्म शुरू होती है। पहले कक्षाओं के अगुवा आगे बढ़ते हैं। वे अपने बड़े नेता को सलामी देते हैं। छात्रों का नेता जाकर मुख्य अध्यापक को सलामी देता है। इसके बाद झण्डा फहराने वाला आदमी आगे बढ़ता है। वह झण्डे की डोरी खींचता है। इस तरह झण्डा फहराने लगता है।

झण्डा फहराने से पहले लड़के सावधान की मुद्रा में खड़े किए जाते हैं। फहरते झण्डे को वे सलामी देते हैं। सलामी के बाद राष्ट्र-गान होना चाहिए। राष्ट्र-गान के समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए–उस समय सभी लोग सावधान की मुद्रा में रहें।

4 हम सब मिलकर गाएं

स्काउट रैली का समारोह था। विनोद और मंजु बड़े शौक से सब देखते रहे। राष्ट्रपति जी वहां आए। तभी राष्ट्र-गान की धुन बज उठी। समारोह के बाद हम बाहर निकले।

मैंने कहा–"राष्ट्र-गान ने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान किया है। इसे गाकर लोग हंसते-हंसते मरने को भी तैयार हो जाते थे। हर सभा में राष्ट्र-गीत गाया जाता था। उसे सुनकर लोगों के दिल जोश से भर उठते थे।"

"ऐसी क्या बात थी उसमें?" विनोद ने सवाल किया।

मैंने समझाया–"आजादी से पहले 'वन्दे मातरम्' गीत हर कहीं गाया जाता था। उसमें भारत माता की वन्दना की गई है। भारत मां के गौरव का बखान किया गया है।"

"सुजलाम् सुफलाम्.........." मंजु याद करके बोली–"वह तो हमारी पुस्तक में भी है।"

"हां, वही! जरा सुनाओ तो," मैं बोला।

"इस तरह तो याद नहीं है।" मंजु ने झिझकते हुए कहा।

"और तुम्हें विनोद?" मैंने इशारे से पूछा।

"मुझे भी याद नहीं है," विनोद का जवाब था।

"पुस्तक में याद करने के लिए ही तो दिया हुआ है।" मैंने कहा–"खैर सुनो।"

"वन्दे मातरम्!

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्,

शस्य श्यामलाम् मातरम्!
वन्दे मातरम्!''
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्,
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीम्-सुमधुर-भाणिणीम्,
सुखदाम्, वरदाम्, मातरम्!
वन्दे मातरम्!''

''इसके मायने तो समझा दीजिए।'' मंजु ने कहा।

मैंने गीत का अर्थ बताया–''भारत मां! मैं तुम्हारी वन्दना करता हूं। तुम्हारा जल सुन्दर है। तुम बढ़िया फल-फूलों से लदी हो। तुम्हारी हवा का क्या कहना! वह तो चन्दन जैसी ठण्डक पहुंचाती है। तुम्हारे खेत हरे-भरे हैं। उनमें हरियाली ही हरियाली है। तुम्हारी रातें चांदनी में खिले हुए फूलों से महकी रहती हैं। तुम सदा अपने वृक्षों में हंसती रहती हो। तुम सदा वरदान ही देती हो। वे वरदान मुझे बहुत सुख पहुंचाते हैं। हे मां! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं।''

विनोद बोला–''इतना बढ़िया गीत लिखा किसने है? मुझे इस गीत के लिखने वाले के बारे में भी बताइए।''

मैंने कहा–''यह गीत बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखा है। उनका नाम था–बंकिमचन्द्र चटर्जी। यह गीत बंगला में है।

''बंकिमचन्द्र जी ने और भी तो गीत लिखे होंगे?'' मंजु ने कहा।

''हां, क्यों नहीं,'' मैंने कहा–''बंकिम बाबू महान् कवि थे। उन्होंने बहुत बढ़िया उपन्यास भी लिखे। उन्होंने देश के जवानों को ललकारा। आजादी के लिए मर मिटने को कहा। उनका ''आनन्द मठ'' उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। इस उपन्यास को पढ़कर लाखों लोग देश पर मिर मिटने को तैयार हो गए।''

विनोद ने शंका प्रकट करते हुए कहा–''लेकिन धुन तो किसी और ही गीत की बजाई जाती है?''

''हां, तुम्हारी बात सही है,'' मैंने कहा–''वह हमारा राष्ट्र-गान है। वह गीत रवीन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है।''

पर झण्डा फहराता रहता है। उच्च-न्यायालयों पर भी झण्डा फहराता है।

"इसके अलावा कुछ खास जगहों के छोटे दफ्तरों पर भी झण्डा फहराता है। हमारे देश की सीमा बहुत-से देशों से मिलती है। सीमा प्रदेश में हमारी चौकियां रहती हैं। कुछ दफ्तर भी होते हैं। इन दफ्तरों पर भी राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाता है।"

विनोद बोला-"हमने तो बहुत से मकानों पर झण्डे फहराते देखा है। वे कैसे फहरा लेते हैं झण्डे को?"

मैंने कहा, "केन्द्रीय सरकार के मंत्री अपने मकानों पर झण्डा फहराते हैं। राज्य के मंत्रियों के मकानों पर भी झण्डा फहराता है। उपमंत्रियों को भी झण्डा फहराने की इजाज़त है। संसद के अध्यक्षों के निवास-स्थान पर झण्डा फहराता है। विधान सभाओं के अध्यक्ष भी अपने निवास-स्थान पर झण्डा फहराते हैं।

"क्या और कहीं नहीं फहराया जाता झण्डा?" विनोद ने पूछा।

"नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हमारे राजदूत भी विदेशों में राष्ट्रीय झण्डा फहराते हैं।"

झण्डे के बारे में बात करते हुए बहुत देर हो गई थी। मैं इस बात को खत्म करना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा-"झण्डे के बारे में और तो कुछ नहीं पूछना?"

क्षण भर बाद मंजु फिर बोली-"एक बात बता दीजिए। हमने कई बार झण्डे को नीचे झुका हुआ देखा है। झण्डा क्यों झुक जाता है?"

"बिटिया, झण्डे को झुकाया जाता है।" मैंने कहा-"झण्डा झुकाकर हम शोक प्रकट करते हैं। यह तभी किया जाता है। जब कोई बड़ा आदमी मर जाए या देश के लिए दुख का अवसर आ जाए। ऐसी हालत में झण्डे को डंडे की चोटी से नीचे खिसका देते हैं। झण्डा डंडे के बीच में बांध दिया जाता है।"

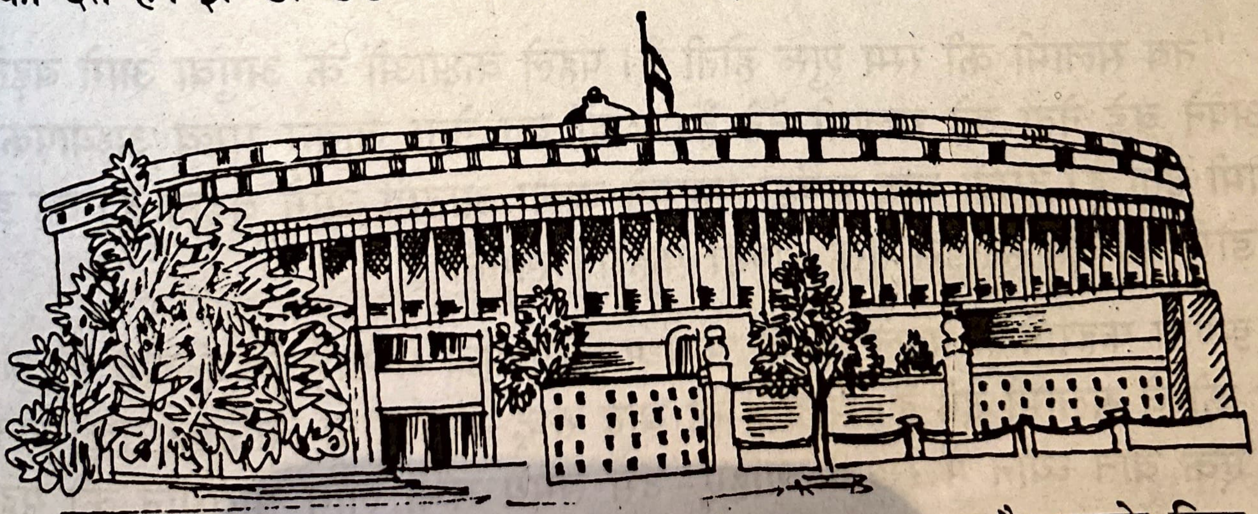

"शोक के दिन की याद में भी झण्डे को झुकाया जाता है। उसके लिए खास नियम हैं। ऐसे दिन झण्डा सुबह को झुका दिया जाता है यानी डंडे के बीच में उसे

उतार लेते हैं। दोपहर तक झण्डा ऐसे ही रखा जाता है। दोपहर के बाद ऊपर कर दिया जाता है।''

विनोद झटपट बोला–''एक बात मुझे भी पूछनी है। स्कूल में झण्डा फहराने का क्या नियम है?''

''तुम्हारे स्कूल में 15 अगस्त को झण्डा फहराया जाता है। 26 जनवरी को भी झण्डे को सलामी दी जाती है। 2 अक्तूबर के दिन भी यही कार्यवाही होती होगी। तब भी तुम मुझसे नियम पूछ रहे हो?''

''देखा तो हर बार है। सलामी भी दी है। लेकिन, ध्यान नहीं दिया। आप बता दीजिए। आगे से ध्यान रखूंगा।''

''अच्छा, तो सुनो।'' मैंने कहा–''स्कूलों में झण्डा फहराने के लिए किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है। झण्डे का डंडा किसी खुले मैदान में रखना अच्छा समझते हैं। लड़के तीन तरफ खड़े हो जाते हैं। वे अपनी-अपनी कक्षाओं के हिसाब से खड़े होने चाहिएं। वे तीन-तीन की कतारों में खड़े होते हैं। कक्षा का अगुवा अपनी कतार में सबसे आगे रहता है। उसे सबसे दाहिनी ओर रहना चाहिए। अध्यापक कक्षा के पीछे खड़े होते हैं। अध्यापक तीसरी कतार से दो कदम पीछे खड़े होने चाहिएं। इस तरह सभी कक्षाओं को खड़ा होना चाहिए।''

''चौथी तरफ मुख्य अध्यापक खड़े होते हैं। साथ में झण्डा फहराने वाला बड़ा आदमी भी रहता है। लड़कों का बड़ा नेता भी वहीं खड़ा होता है। ये लोग झण्डे के डंडे से कुछ हटकर खड़े रहते हैं। डंडे से तीन कदम हटकर खड़े होने का नियम है।''

''तब सलामी की रस्म शुरू होती है। पहले कक्षाओं के अगुवा आगे बढ़ते हैं। वे अपने बड़े नेता को सलामी देते हैं। छात्रों का नेता जाकर मुख्य अध्यापक को सलामी देता है। इसके बाद झण्डा फहराने वाला आदमी आगे बढ़ता है। वह झण्डे की डोरी खींचता है। इस तरह झण्डा फहराने लगता है।

झण्डा फहराने से पहले लड़के सावधान की मुद्रा में खड़े किए जाते हैं। फहरते झण्डे को वे सलामी देते हैं। सलामी के बाद राष्ट्र-गान होना चाहिए। राष्ट्र-गान के समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए–उस समय सभी लोग सावधान की मुद्रा में रहें।

4 हम सब मिलकर गाएं

स्काउट रैली का समारोह था। विनोद और मंजु बड़े शौक से सब देखते रहे। राष्ट्रपति जी वहां आए। तभी राष्ट्र-गान की धुन बज उठी। समारोह के बाद हम बाहर निकले।

मैंने कहा–''राष्ट्र-गान ने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान किया है। इसे गाकर लोग हंसते-हंसते मरने को भी तैयार हो जाते थे। हर सभा में राष्ट्र-गीत गाया जाता था। उसे सुनकर लोगों के दिल जोश से भर उठते थे।''

''ऐसी क्या बात थी उसमें?'' विनोद ने सवाल किया।

मैंने समझाया–''आजादी से पहले 'वन्दे मातरम्' गीत हर कहीं गाया जाता था। उसमें भारत माता की वन्दना की गई है। भारत मां के गौरव का बखान किया गया है।''

''सुजलाम् सुफलाम्..........'' मंजु याद करके बोली–''वह तो हमारी पुस्तक में भी है।''

''हां, वही! जरा सुनाओ तो,'' मैं बोला।

''इस तरह तो याद नहीं है।'' मंजु ने झिझकते हुए कहा।

''और तुम्हें विनोद?'' मैंने इशारे से पूछा।

''मुझे भी याद नहीं है,'' विनोद का जवाब था।

''पुस्तक में याद करने के लिए ही तो दिया हुआ है।'' मैंने कहा–''खैर सुनो।''

''वन्दे मातरम्!

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्,

शस्य श्यामलाम् मातरम्!
वन्दे मातरम्!''
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्,
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीम्-सुमधुर-भाषिणीम्,
सुखदाम्, वरदाम्, मातरम्!
वन्दे मातरम्!''

''इसके मायने तो समझा दीजिए।'' मंजु ने कहा।

मैंने गीत का अर्थ बताया–''भारत मां! मैं तुम्हारी वन्दना करता हूं। तुम्हारा जल सुन्दर है। तुम बढ़िया फल-फूलों से लदी हो। तुम्हारी हवा का क्या कहना! वह तो चन्दन जैसी ठण्डक पहुंचाती है। तुम्हारे खेत हरे-भरे हैं। उनमें हरियाली ही हरियाली है। तुम्हारी रातें चांदनी में खिले हुए फूलों से महकी रहती हैं। तुम सदा अपने वृक्षों में हंसती रहती हो। तुम सदा वरदान ही देती हो। वे वरदान मुझे बहुत सुख पहुंचाते हैं। हे मां! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं।''

विनोद बोला–''इतना बढ़िया गीत लिखा किसने है? मुझे इस गीत के लिखने वाले के बारे में भी बताइए।''

मैंने कहा–''यह गीत बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखा है। उनका नाम था–बंकिमचन्द्र चटर्जी। यह गीत बंगला में है।

''बंकिमचन्द्र जी ने और भी तो गीत लिखे होंगे?'' मंजु ने कहा।

''हां, क्यों नहीं,'' मैंने कहा–''बंकिम बाबू महान् कवि थे। उन्होंने बहुत बढ़िया उपन्यास भी लिखे। उन्होंने देश के जवानों को ललकारा। आजादी के लिए मर मिटने को कहा। उनका ''आनन्द मठ'' उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। इस उपन्यास को पढ़कर लाखों लोग देश पर मिर मिटने को तैयार हो गए।''

विनोद ने शंका प्रकट करते हुए कहा–''लेकिन धुन तो किसी और ही गीत की बजाई जाती है?''

''हां, तुम्हारी बात सही है,'' मैंने कहा–''वह हमारा राष्ट्र-गान है। वह गीत रवीन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है।''

"राष्ट्र-गान कौन-सा है? मंजु ने पूछा।

विनोद भी चुप न रहा–"तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हमारा राष्ट्रीय गीत है और एक राष्ट्र-गान है।"

"हां, तुम ठीक समझे हो, विनोद," मैंने कहा–"हमारे दो राष्ट्रीय गीत हैं। बंकिम बाबू वाला वन्दे मातरम् राष्ट्र-गीत है और रवीन्द्र बाबू का जन-गण-मन राष्ट्र-गान।"

मंजु बोली–"जन गण मन गीत पूरा सुनाइए।"

"हां, जरूर," मैंने राष्ट्र-गान सुनाना शुरू किया-

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।

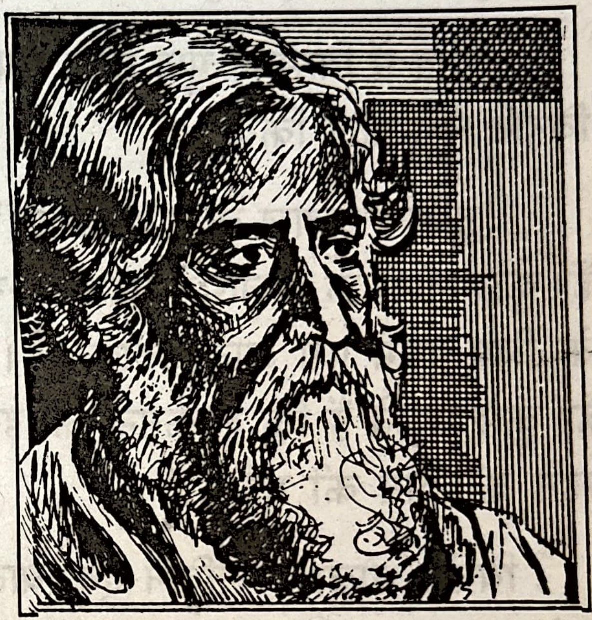

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मांगे
गाहे तव जय-गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय है
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे॥

"यह गीत भी बंगला में ही लिखा लगता है," मंजु बोली–"इसका मतलब भी समझा दीजिए।

"हां, रवि बाबू भी बंगला के ही कवि थे। उनका यह गीत बंगला में ही है। इसका मतलब साफ है।" मैंने गीत का अर्थ बताया–

"तुम भारत के जन जन के स्वामी हो। उनके दिलों पर तुम्हारा शासन है। तुम ही उनके सब-कुछ हो। भारत का भाग्य तुम्हारे हाथ है। तुम्हीं उसे बनाने वाले हो। पंजाब, सिंध और गुजरात के लोग तुमसे उत्साह पाते हैं। महाराष्ट्र, द्रविड़, उड़ीसा और बंगाल के लोगों में तुम जोश जगाते हो। तुमसे सारे देश के लोगों में उत्साह जगता है।

तुम्हारा नाम सारे देश में गूंजता है। तुम्हारे नाम की गूंज विन्ध्याचल की पहाड़ियों में सुनाई पड़ती है। हिमालय की चोटियों तक वह आवाज़ पहुंचती है। गंगा और यमुना की कल-कल में तुम्हारा नाम है। नदियों की लहरें तुम्हारा ही गान गाती हैं। सागर भी तुम्हारा गान करते हैं। तुम्हारे यश का बखान करते हैं।

तुम्हारा नाम पवित्रता से भरा हुआ है। इससे हमें नई चेतना मिलती है। हममें नया जीवन आता है। हम तुमसे आशीष मांगते हैं। हम तुम्हारा यश गाते हैं।

तुम हमारे भाग्य-विधाता हो। तुम्हारी नजरों में हम सब बराबर हैं। तुम बड़े छोटे में मतभेद नहीं करते।

तुम्हारी जय हो। तुम सदा विजयी रहो।''

''गीत में किसका गुण गाया गया है? किसकी विजय की कामना की गई है?'' विनोद ने सवाल किया।

''तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है।'' मैंने कहा–''इसके लिए तरह-तरह के विचार हैं। कुछ लोगों के विचार में यह राष्ट्र-गान झण्डे के लिए गाया जाता है। राष्ट्रीय झण्डे के लिए इसमें पूरा आदर दिखता है। राष्ट्रीय झण्डे की विजय की कामना की गई है। कुछ कहते हैं कि लोकतन्त्र को इस गीत में पुकारा गया है। लोकतन्त्र के कायम रहने की बात की गई है।''

विनोद बोला–''लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। दो गीतों को राष्ट्र-गीत क्यों कहा जाता है? और धुन सिर्फ रवि बाबू के गीत की ही क्यों बजाई जाती है?''

''राष्ट्र-गान को बहुत आदर मिलना चाहिए। राष्ट्र-गान का मान झण्डे जितना ही है। राष्ट्र-गान के समय सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। उस समय बातचीत बिलकुल नहीं होनी चाहिए। न ही कोई दूसरा शोर आदि होना चाहिए। राष्ट्र-गान के समय दूसरे गीत नहीं गाए जाने चाहिएं।'' मैंने राष्ट्र-गान से सम्बन्धित नियम बताए।

5 नाच रहा मोर घिर आए बदरा

घुमड़-घुमड़ कर आने वाले बादलों ने मौसम ही बदल दिया। मेरी इच्छा कहीं बाहर घूमने की हुई। मैंने सोचा कि ऐसे मौसम में चिड़ियाघर घूमने से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता।

मैंने मंजु से अपने मन की बात कही। वह तो मारे खुशी के नाचने लगी। विनोद भी फूला नहीं समाया।

चिड़ियाघर मीलों में फैला हुआ था। किसी तरह से मिआओ-मिआओ की मीठी आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले विनोद का ध्यान उस मोहक आवाज पर गया। बोला–''यह आवाज किस जानवर की है? चलिए वहीं।

''अरे, यह तो मोर की आवाज़ है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देखकर, वह ऐसी ही मधुर आवाज निकालने लगता है। साथ ही पंखों को फैलाकर नाचता भी है। आज हमें मोर का नाच भी देखने को मिल जाएगा।'' मैंने बढ़ते हुए कहा।

मंजु ने पूछा–''आज ही ऐसी क्या खास बात है? मोर क्या रोज़ नहीं नाचता?''

''नहीं, मोर हर मौसम में नहीं नाचता।'' मैंने चलते-चलते कहा–''मोर को बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आकाश में बादल देखकर मोर मस्त हो जाता है। वह बेसुध होकर नाचता है। साथ में मिआओ-मिआओ की आवाज़ करता है। वर्षा होने लगती है। धरती की प्यास बुझ जाती है।''

अपने जालीदार बाड़े में मोर नाच रहा था। रंग-बिरंगे पंख फैला रखे थे। पंखों पर गोलाई में नीले रंग की नक्काशी-सी हुई लग रही थी मानों हजार आंखें हों। गरदन पर कई रंगों के रोएं थे। सिर पर नीले रंग की कलगी बहुत ही सुन्दर लग रही थी। उसकी अनूठी शान का क्या कहना। हम लोग ठगे से रह गए। बिना कुछ बोले कई मिनट तक उसे निहारते रहे।

''जंगल में आने वाले शिकारी जानवर का उसे सबसे पहले पता लग जाता है। बाघ या तेंदुआ आने पर मोर चिल्लाने लगता है। इस आवाज को सुनकर जंगल के

जानवर शिकारी के आने की खबर पा लेते हैं। फौरन ही वे इधर-उधर छिप जाते हैं। इस तरह मोर जंगल के जानवरों को मौत से बचा लेता है।''

''तब तो मोर बड़े काम का पक्षी हुआ! मोर के दूसरे लाभ भी हमें बताइए।'' मंजु ने कहा।

''मोर के सुन्दर पंखों से कई चीजें बनाई जाती हैं। श्रीकृष्ण के मुकुट में मोर पंख था। आज भी ब्रज में मोर बहुत मिलते हैं। मोर को सरस्वती की सवारी माना जाता है। सरस्वती विद्या की देवी है। इसीलिए कुछ लोग मोर-पंख को अपनी किताबों में रखते हैं। वे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें विद्या आ जाएगी।''

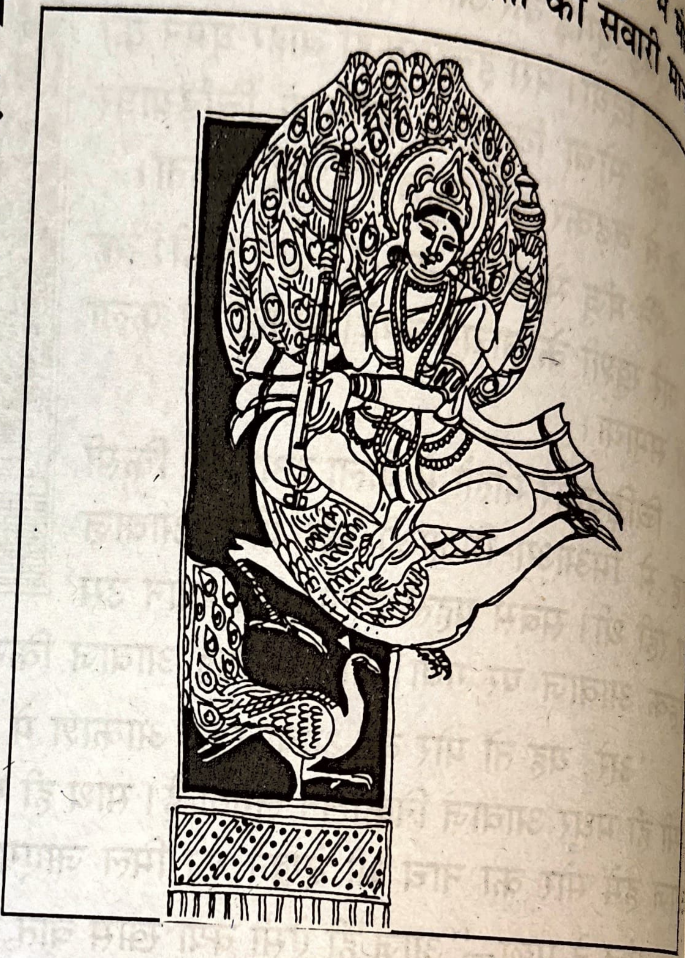

''हम भी अपनी किताबों में मोर-पंख रखेंगे।'' विनोद मचल कर बोला।

मंजु ने टोका-''तो क्या केवल मोर हमारे देश में ही होता है?''

''हां, मोर हमारे देश से ही सारी दुनिया में फैले। आज से दो हजार साल पहले तक मोर सिर्फ भारत में ही मिलते थे। सिकन्दर महान् यहां से 200 मोर भी अपने साथ ले गया था। इस तरह मोर भारत से यूनान पहुंचे। वहां से वे पश्चिमी एशिया में फैले। फिर तो यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में भी मोर मिलने लगे।''

''तब तो हम कह सकते हैं कि हमने सारी दुनिया को मोर दिए।'' विनोद बड़े-बूढ़ों की तरह बोला।

मेरे चेहरे पर हंसी फैल गई-''यों ही सही।'' मैंने कहा-''इसी बात को ध्यान में रखकर मोर को एक खास आदर दिया गया है। इसे हमने अपना राष्ट्रीय पक्षी चुना है। मार्च 1963 में उसे यह दर्जा दिया गया। तब से कहीं भी भारतीय पक्षियों का जिक्र आने पर मोर का नाम पहले नम्बर पर रखा जाता है। मोर के शिकार पर भी पाबन्दी है।''

6 जंगल का राजा है–शेर

मैंने कहा–''शेर और मोर में दोस्ती होती है। अक्सर वन में शेर के आसपास मोर विचरते दिखाई देते हैं और तुम्हें यह मालूम ही होगा कि शेर हमारा राष्ट्रीय पशु है?''

झट से मंजु बोली–''मैंने तो कहीं पढ़ा था कि सिंह हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या सिंह और शेर में कुछ फर्क नहीं?''

''पहले सिंह राष्ट्रीय पशु था। पर 1972 में भारत सरकार ने शेर को राष्ट्रीय पशु मान लिया।'' मैंने बताया–''सिंह हमारे देश में बस एक ही जगह पर मिलता है–गुजरात के गीर जंगल में। परन्तु शेर देश के अनेक राज्यों में मिल जाता है। सिंह, शेर, तेन्दुआ और चीता–ये एक ही जाति के पशु है। सिंह और बब्बर शेर तो एक ही पशु के दो नाम हैं। इसका सारा शरीर भूरे रंग का होता है। उस पर धारियां नहीं होती। हां, नर सिंह की गर्दन पर बाल उगे होते हैं।''

विनोद चुप कैसे रहता, बोला ''पर शेर की पहचान भी तो बताइए।''

''शेर कहो या बाघ–एक ही बात है। इसका रंग पीला होता है। शरीर पर लम्बी-लम्बी धारियां होती हैं। शेर बड़ा चुस्त, चालाक और चौकन्ना जानवर है। यदि सिंह से इसकी मुठभेड़ हो जाए तो उसे मार डालता है।'' मैं उन्हें बता रहा था।

तभी मंजु मे टोक दिया–''शेर बड़ी जोर से दहाड़ता है, उसे सुनकर ही डर लगता है। अगर कहीं खुले में आमना-सामना हो जाए तो प्राण ही निकल जाएं।''

विनोद बोला–''पर शेर अपनी तरफ से हमला कम ही करता है। यह तो मस्ती से एकांत में रहना पसंद करता है। मैंने किसी कहानी में पढ़ा था कि कोई-कोई शेर आदमखोर हो जाता है।''

शेर के बारे में मैंने दोनों की रुचि देखी। इसलिए आगे बताना शुरू किया–''आमतौर पर शेर रात में शिकार करते हैं। भैंसा, हिरण, गौर, नील गाय, जंगली सूअर, भालू जैसे पशुओं को ये मार डालते हैं। पर मनचाहा शिकार न मिले तो मुर्गी, सांप जैसे जीवों से ही काम चलाते हैं। बूढ़े या जख्मी हुए शेर जंगली जीवों का पीछा नहीं कर पाते। इस हालत में, भूखे होने पर वे जंगल में जाते हुए आदमी पर हमला करने लगते हैं। अगर शेर से सामना हो भी जाए तो डर कर भागना ठीक नहीं। शोर करने पर अक्सर वह खुद ही वहां से खिसक जाता है।''

''तुमने पढ़ा होगा शकुन्तला का पुत्र भरत शेर के बच्चों के साथ खेलता था। उनके दांत गिना करता था। शेर के छोटे बच्चे पालतू बन जाते हैं। खूब हिल-मिलकर खेलते हैं।''

तभी विनोद ने पूछ लिया–''शेर की उम्र कितनी होती है?''

मैंने कहा–''तीन से पांच साल की उम्र में शेर जवान हो जाते हैं। इनकी उम्र आम ौर पर बीस बरस या कुछ अधिक होती है।''

7 करोड़ों की भाषा

विनोद का जन्म-दिन था। बच्चे इकट्ठे हुए। वे आपस की बातचीत अंग्रेजी में ही अधिक कर रहे थे। उस समय तो मैं चुप रहा, बाद में मैंने कहा, ''अंग्रेजी पढ़ना अच्छा है, पर रोजमर्रा की बातचीत तो अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। फैसला हुआ था कि 26 जनवरी, 1965 से सरकारी कामकाज हिन्दी में होने लगेगा। देश को स्वाधीन हुए पचास वर्ष से अधिक हो गए, पर हम हिन्दी को पूरी तरह अपना नहीं पाए।

मेरी बात सुनकर विनोद चक्कर में पड़ गया। बोला–''हिन्दी में राज-काज चलाने से क्या फायदा? अंग्रेजी में काम ठीक तो होता है, फिर हिन्दी क्यों लागू की जा रही है?''

''इसलिए कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। हम अपने घरों में नहीं बोलते हैं। रोज़मर्रा के काम-काज में अंग्रेजी नहीं चलती। हम उसे किताबों में पढ़ते हैं। दफ्तरों में कुछ लोग उसे लिखते हैं। बस! इससे अधिक हमारा उससे वास्ता नहीं है।'' मैंने जवाब दिया।

विनोद ने फिर बहस की, ''तो फिर अंग्रेजी को दफ्तरों में चलने दिया जाए। घरों पर हम अपनी भाषा बोलते रहें। इसमें हर्ज क्या है?''

मैंने कहा–''मान लो किसी आदमी को दफ्तर में कुछ काम है। वह मामूली पढ़ा-लिखा है। अंग्रेजी उसे नहीं आती। वह दफ्तर में जाकर बिना पढ़ा ही तो बन जाएगा! वहां के बाबुओं की खुशामद ही तो करेगा। वे लोग जिसमें अपना फायदा देखेंगे, उससे वही करा लेंगे। उनका फायदा नहीं होगा, तो उसे टरका देंगे।''

''और यदि दफ्तर में काम हिन्दी में होगा तो क्या फायदा होगा?'' मंजु पूछ बैठी।

"सीधी-सी बात है।" मैंने समझाया–"अपनी भाषा के कागज़ को वह खुद समझ लेगा। किसी की खुशामद करने की उसे जरूरत नहीं होगी। वह जिस तरह अपनी भलाई देखेगा, उसी तरह करेगा।"

विनोद को तसल्ली अब भी नहीं हुई। बोला-"लेकिन सभी को हिन्दी भी तो नहीं आती। हिन्दी न जानने वाले के लिए जैसी अंग्रेजी, वैसी ही हिन्दी।"

मैंने बात ज़ारी रखी–"हमारे देश में बहुत-सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिन्दी बोलने वाले सब से अधिक हैं। इसके अलावा हिन्दी बहुत सरल भी है। इसीलिए हिन्दी को राजभाषा चुना गया है। हमारे देश की अठारह प्रमुख भाषाएं हैं यानी इन भाषाओं में लोग लिखते-पढ़ते हैं। इन भाषाओं में वे बातें करते हैं। कुछ भाषाओं को जानने वाले कम हैं। कुछ को जानने वाले अधिक हैं। इन सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। सरकारी काम इन सभी भाषाओं में चलेगा।"

"भारत मां के गले का हार अठारह भाषाओं के मोतियों से गूंथा गया है। वे हैं–असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगू, उर्दू और सिंधी। इसमें तीन भाषाएं और जुड़ गईं हैं–मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। इन सभी में बढ़िया साहित्य है। सभी भाषाओं में ऊंचे दर्जे के लेखकों और कवियों ने लिखा है। केवल संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली और सिंधी को छोड़कर शेष विभिन्न राज्यों की राज्य भाषाएं हैं। जिस इलाके में जो भाषा चलती है, वहां के लोग उस भाषा को और भी अधिक चाहते हैं। मैंने जवाब दिया।

मंजु ने पूछा–"और एक इलाके से दूसरे के लिए काम कैसे चलेगा?"

"इसी के लिए तो हिन्दी को चुना गया है। मैंने बात साफ की। हिन्दी इसके लिए ीक भाषा है। वह सभी भाषाओं के बीच की कड़ी रहेगी। हिन्दी बोलकर हम सभी नाके के लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। बस इसी मायने में हिन्दी का दर्ज़ा चा रहेगा।"

"इलाके की भाषा लागू करने के और क्या लाभ होंगे?" विनोद ने पूछा.

"इससे बहुत लाभ होंगे।" मैंने बताया–"आजकल अंग्रेजी में ऊंची पढ़ाई होती ढ़ने वाले उस भाषा की गहराई तक पहुंच नहीं पाते। उनकी समझ में विषय ठीक नहीं आता। तब वे रटाई करते हैं। इससे उनका विकास नहीं हो पाता। वे पिछड़

जाते हैं। अंग्रेजी लिखते समय भी गड़बड़ी हो जाती है। अपनी बात को वे ठीक तरह लिख नहीं पाते। अगर वे अपनी भाषा में पढ़ें तो यह कठिनाई न हो। पढ़ने वालों की मेहनत घट जाए।''

विनोद ने एक शंका पैदा की। वह बोला–''आपने ऊंची शिक्षा की बात कही है। अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन आदि की बढ़िया किताबें हैं। हमारे देश के लोग अंग्रेजी पढ़कर उसका लाभ उठाते हैं। अंग्रेजी पढ़ना छोड़कर हमें वह लाभ नहीं मिलेगा।''

''यह तो दिमागी डर ही है।'' मैंने कहा–''दुनिया के बहुत से देशों में अंग्रेजी के बिना काम चलता है। रूस और जापान ने कितनी तरक्की की है। वहां शिक्षा अंग्रेजी में नहीं दी जाती। वे लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। वे विज्ञान में नहीं पिछड़े। बल्कि कई बातों में अंग्रेजी मुल्कों से आगे हैं। इसी तरह जर्मनी में लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। जापान में जापानी भाषा में सारी पढ़ाई होती है। फ्रांस के लोग फ्रांसीसी में काम चलाते हैं। फ्रांस को क्या तुम पिछड़ा देश समझते हो?''

''अच्छा तो एक बात बताइए।'' मंजु बोली–''अपनी भाषा में काम करने के इतने फायदे आपने बताए तो फिर आजादी के बाद इतने साल क्यों बेकार खो दिए गए? शुरू से ही अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया।''

''बड़ी अच्छी बात तुमने पूछी है।'' मैंने कहा–''हमारा संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। उसी समय भाषा की बात तय कर ली गई थी। हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया था।''

''तो फिर अंग्रेजी चलती कैसे रही?'' विनोद चक्कर में पड़कर बोला।

''उस समय कुछ लोगों ने एक बात कही।'' मैंने संविधान में की गई व्यवस्था बताते हुए कहा–''कुछ लोगों ने अंग्रेजी को हटाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एकदम अंग्रेजी हटाने से परेशानी होगी। दफ्तरों में काम करने वाले पूरी तरह समझते भी नहीं हैं। उन्हें हिन्दी सीखने का मौका मिलना चाहिए।

पचास साल से अधिक निकल गए किन्तु अंग्रेजी अभी भी जारी है।

8 हमारी मुहर

सत्यमेव जयते

हम लोग सारनाथ गए हुए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। बौद्ध तो इसे अपना महान् तीर्थ मानते हैं।

विनोद और मंजु को सारनाथ बहुत पसन्द आया। वहां के मन्दिरों ने उन्हें मोह लिया।

घूमते-घूमते हम एक टूटे हुए खम्भे के पास पहुंचे। उस पर एक छोटी तख्ती लगी थी। मैंने उसे पढ़ा। उसे पढ़कर मैं ठिठक गया। वह तो अशोक स्तम्भ का निचला भाग था। तख्ती पर यह भी लिखा था कि उसका ऊपरी भाग टूट गया है। टूटा हुआ भाग सारनाथ के अजायबघर में रखा हुआ है।

मंजु को एक खम्भे के पास इस तरह खड़े रहना पसन्द नहीं आया। वह बोली–''अब आगे चलिए न! क्या रखा है इस खम्बे में?''

मैंने कहा–''बिटिया, यह मामूली खम्भा नहीं, अशोक स्तम्भ है। इसका टूटा हुआ भाग अजायबघर में रखा है। चलो, चलकर उसे देखें।''

मैंने अपनी जेब में से एक रुपए का सिक्का निकाला। एक तरफ सिक्के की कीमत लिखी थी; दूसरी तरफ भारत सरकार की मुहर बनी हुई थी। मैंने विनोद को उसी तरफ से सिक्का दिखाकर कहा–''देखते हो, यह क्या है?''

मंजु ने जवाब दिया–''यह तो मुहर है।''

मैंने कहा–''बोलो, तुम अपनी मुहर के असली रूप को देखना पसन्द करोगे? तो चलो अजायबघर चलें।''

अजायबघर में घुसते ही अशोक स्तम्भ का ऊपरी भाग दिखाई दिया। हम लोग उसे देखकर दंग-से रह गए। दो हजार साल से अधिक पुराना और इतना चमकदार। वह तो हाल ही में घड़ कर रखा मालूम दिया। उसकी पॉलिश बहुत ही चमकदार थी।

मंजु बोली–''ये सिंह कितने अच्छे लगते हैं? बिल्कुल असली सिहों जैसे हैं।''

मैंने कहा–''देखो, यही हमारी मुहर का असली नमूना है। इन चार सिंहों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे रखे हुए भी एक ही चौकी पर हैं। इन सब के पीछे खास भावना है।''

मैंने अशोक चिन्ह के सिंहों में छिपी भावना बताई–''सिंह बहुत ताकतवर होता है। रहता भी सदा चौकन्ना है। किसी को बहुत ताकतवर बताना हो, तो तुम क्या कहते हो? वह आदमी नहीं, नरसिंह हैं। यानी ये शक्ति के सूचक हैं, सजगता के सूचक हैं। चारों ओर मुंह किए सिंह निगरानी करते नजर आते हैं।

विनोद ने बात काटी–''निगरानी की क्या जरूरत है?''

मैंने कहा–''मान लो तुम बहुत ताकतवर हो। लेकिन हो लापरवाह। तुम सोते रहते हो, तो समझ लो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कभी भी कोई आकर तुम्हें दबोच सकता है। सोता आदमी किस काम का? उसकी सारी ताकत बेकार ही तो है। इसीलिए सजग रहना बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा के लिए सजगता बहुत जरूरी है। इसीलिए सिंहों के मुंह चारों दिशाओं में बनाए गए हैं।''

''और क्या दिखाते हैं ये सिंह?'' मंजु ने सवाल किया।

मैंने जवाब दिया–''इन सिंहों के मुंह अलग-अलग दिशाओं में हैं। फिर भी वे जुड़े हुए हैं। इनकी कमर एक दूसरे से मिली हुई हैं। यह बात एकता को दिखाती है। एकता का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में एकता न हो, तो वह तबाह हो जाएगा।

लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। पीठ जुड़े [illegible] सह देश की एकता को दिखाते हैं।''

विनोद अशोक स्तम्भ को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नजर चौकी से नीचे पहुंची। पाषाण खंड की पट्टी पर एक चक्र बना हुआ था। उसके एक तरफ एक सांड बना था। दूसरी तरफ एक घोड़ा बना हुआ था। इसके अलावा एक हाथी और सिंह भी उकेरे हुए थे। उन्हें देखाकर बोला—''और यह सांड और घोड़े आदि किस मतलब के लिए बनाए गए हैं?''

''इस चक्र के मायने तो मैं तुम्हें बता चुका हूं। यही चक्र तो हमारे राष्ट्रीय झण्डे में भी है।'' मैंने कहा—''चक्र गति को बताता है। आगे बढ़ने की बात बताता है। इस स्तम्भ में चक्र के और भी खास मायने हैं। चक्र धर्म पर चलने को कहता है।''

वे दोनों मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहना जारी रखा—''हाथी का हमारे देश की सभ्यता में बड़ा स्थान है। हाथी हमारे गौरव का निशान माना जाता है। यह खुशहाली को दिखाता है। घोड़ा शक्ति और चुस्ती का प्रतीक है। बिना थके मेहनत करने का इशारा करता है।''

विनोद मीन-मेख निकालने पर तुला हुआ था। बोला—''मुहर पर तो कुछ लिखा भी होता है। यहां पर तो कुछ नहीं लिखा।''

मैंने जवाब दिया—''हां, हमारी मुहर पर ''सत्यमेव जयते'' लिखा रहता है। वह अशोक स्तम्भ में नहीं लिखा हुआ। इसके मायने हैं—''सत्य की हमेशा विजय होती है।'' या यूं कहो—सांच को आंच नहीं। जहां सच्चाई होती है, जीत वहीं होगी। हमारी मुहर हमें सच्चाई का रास्ता बताती है।''

9 राष्ट्रीय संवत्

सवेरे ही अखबार वाला अखबार दे गया। उसके पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी तारीख छपी थी। साथ में शक संवत् की तिथि भी थी।

आषाढ,शक – १९११

रविवार		४	११	१८	२५
सोमवार		५	१२	१९	२६
मंगलवार		६	१३	२०	२७
बुधवार		७	१४	२१	२८
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०
शनिवार	३	१०	१७	२४	३१

मंजु पूछ बैठी–''तारीख के साथ यह बराबर में दूसरी तिथि कौन-सी है जिसमें सन् की जगह शक लिखा है?''

''अरे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अंग्रेजी सन् के अलावा राष्ट्रीय संवत्, शक संवत् माना गया है''–मैं बोला। ''वर्ष का आरम्भ कब हुआ, किस दिन क्या दिनांक (तारीख) है यानी वर्ष, महीने और दिनों का हिसाब रखने के लिए पंचांग का चलन है। बहुत पहले से हमारे देश में कई संवत् चले आ रहे हैं। जैसे विक्रमी, शक, बंगाली, कोल्लम, मलाबारी तथा हिजरी। इनमें विक्रमी संवत् सबसे पुराना है.....''

विनोद ने झट ने कहा–''ईसवीं संवत् से विक्रमी संवत् 57 वर्ष आगे होता है।

मैंने उसे शाबासी दी। फिर आगे बताना शुरू किया–''हमारे देश में विक्रमी संवत् का काफी चलन रहा है। आज भी जन्म-पत्री, विवाह तथा ज्योतिष में इसी का उपयोग अधिक होता है। पर आजकल अधिकतर घटनाओं का काल ईसवी सन् में देते हैं। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान इसका चलन हुआ जो अभी तक जारी है। इसे ग्रेगेरियन संवत् भी कहा जाता है। आजकल ईसवी सन् वर्ष में 365 दिन होते हैं। हर चार वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का होता है।''

मंजु ध्यान से सुन रही थी, पर सन्-संवत् का मामला उसे उलझन भरा मालूम हुआ। उसने पूछा–''इस तरह तो बड़ी गड़बड़ होती होगी, कभी वर्ष में 365 दिन कभी एक दिन अधिक?''

''तुम्हारा प्रश्न उचित ही है,'' मैंने कहा–''तुमने सुना होगा कि यह अधि वर्ष (लीप ईयर) है। इसका मतलब है कि उस वर्ष में 366 दिन हैं। देश आजाद होने पर सरकार ने ''पंचाग संशोधन समिति'' बनाई। इसका काम था–देश में चालू तरह-तरह के संवतों पर विचार करना। समिति ने राष्ट्रीय संवत् के रूप में शक संवत् को माना। ग्रेगेरियन संवत् की तरह ही शक संवत् में भी वर्ष में 365 दिन हैं।

विनोद बोला–''तो क्या यह भी एक जनवरी से शुरू होता है।''

''नहीं, शक संवत् चैत्र मास से शुरू होता है''–मैंने बताया–''चैत्र मास में तीस दिन होते हैं किंतु अधि वर्ष (लीप ईयर) में 31 दिन गिने जाते हैं। शेष ग्यारह महीनों में से वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद प्रत्येक में 31 दिन तथा आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन इन छह महीनों में तीस-तीस दिन होते हैं। चैत्र की पहली तारीख 22 मार्च (अधि वर्ष में 21 मार्च) को पड़ती है।

''यह राष्ट्रीय संवत् कब से अपनाया गया?'' मंजु ने जानना चाहा।

मैंने बताया–''शक संवत 22 मार्च, 1957 से अपनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि सन् 1957 को 22 मार्च की तिथि शक संवत् 1879 के चैत्र मास की पहली तिथि हुई। अब सरकारी काम-काज में अंग्रेजी तारीख के साथ-साथ शक संवत् की तिथि भी दी जाती है।''

राष्ट्र के प्रतीक

जयप्रकाश भारती

सत्यमेव जयते

पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी प्रा० लि०